छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा द्वितीय सत्र अंक-12

रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2024

(फाल्गुन 2, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. बधाई

मानतीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर ने सदन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को उनके जन्म दिवस पर बहुत-बहुत बधाई दी और उनके सफल और यशस्वी जीवन की कामना की ।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या-05 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री राजेश मूणत अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 54 तारांकित एवं 81 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3.पृच्छा

माननीय सदस्य सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, दिलीप लहरिया, उमेश पटेल, गजेन्द्र यादव, ब्यास कश्यप, डॉ.चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, धर्मजीत सिंह,

रामकुमार यादव, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री इन्द्र साव रिकेश सेन, पुरन्दर मिश्रा द्वारा विविध विषयों पर आसंदी का ध्यानाकर्षित किया गया ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट), **पटल पर रखा** ।

5.पुस्तक का वितरण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधान सभा हेतु निर्वाचित माननीय सदस्यों के उपयोगार्थ संसदीय विषय पर एक उपयोगी पुस्तक "**प्रश्न काल से शून्य काल तक**" जो छत्तीसगढ विधान सभा के माननीय पूर्व अध्यक्ष पंडित राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल द्वारा लिखित है, का वितरण खानेदार आलमारी के माध्यम से किया जा रहा है ।

समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस पुस्तक की प्रति प्राप्त कर, इसका अध्ययन कर लाभान्वित हों ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने जिला-जांजगीर-चांपा के अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत निजी कम्पनियों द्वारा प्रयोग की जा रही निजी रेलवे लाईन क्रासिंग पर सुरक्षा उपलब्ध नहीं किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री ईश्वर साहू, सदस्य ने जिला-बेमेतरा, ग्राम- बिरनपुर में हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने इस पर वक्तव्य दिया तथा चर्चा के दौरान प्रकरण की जांच सी.बी.आई. से कराये जाने की घोषणा की ।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री कुंवर सिंह निषाद
(2) श्री धरमलाल कौशिक
(3) श्री भोलाराम साहू
(4) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
(5) श्री जनक ध्रुव
(6) श्री द्वारिकाधीश यादव

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024)

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (विधि एवं विधायी कार्य) ने छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) पुर: स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024)

श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्य कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024) पुर: स्थापित किया ।

(3) छत्तीसगढ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) पुर: स्थापित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- श्री बृजमोहन अग्रवाल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री जी द्वारा अनुरोध किया गया है कि छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) को पुर:स्थापन के पश्चात् आज ही चर्चा, विचार एवं पारण के लिये लिया जाय ।

माननीय मंत्री जी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मैंने, छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 उप नियम (1) के अधीन आज ही पुर: स्थापन के पश्चात् चर्चा, विचार एवं पारण हेतु लेने की अनुमति प्रदान की है, जिसके संबंध में अनुपूरक दैनिक कार्य सूची जारी की गई है ।

मैं, समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

(अनुपूरक कार्य सूची जारी की गई)

छत्तीसगढ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अटल श्रीवास्तव, सुशांत शुक्ला, कुंवर सिंह निषाद, रामकुमार यादव, श्रीमती भावना बोहरा, सर्वश्री दिलीप लहरिया, उमेश पटेल,

श्री बृजमोहन अग्रवाल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने माननीय मंत्री से विधेयक वापस लेने का आग्रह किया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ ।
प्रस्ताव के पक्ष में 43 मत पड़े
प्रस्ताव के विपक्ष में 30 मत पड़े ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने ।
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

9. वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर मतदान

(1) श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या-11**, श्रम से संबंधित **मांग संख्या-18** प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-11 पर डॉ. चरण दास महंत, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, **मांग संख्या-18** पर डॉ. चरण दास महंत, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री बघेल लखेश्वर, कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री अनुज शर्मा, रामकुमार यादव

(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए।)

श्री रिकेश सेन, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्री पुन्नूलाल मोहले,

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री टंकराम वर्मा, राजस्व मंत्री ने भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन से संबंधित **मांग संख्या-8**, राजस्व विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या-9**, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय से संबंधित **मांग संख्या-58**, खेल और युवक कल्याण से संबंधित **मांग संख्या-43** प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-8 निरंक, **मांग संख्या-9** पर श्री बघेल लखेश्वर, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री इन्द्रशाह मण्डावी, कुंवर सिंह निषाद श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल,

मांग संख्या-58 निरंक, **मांग संख्या-43** पर श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री बघेल लखेश्वर, दिलीप लहरिया, श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री ब्यास कश्यप, संदीप साहू, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री सुशांत शुक्ला, इन्द्रशाह मण्डावी, रोहित साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सर्वश्री इन्द्र कुमार साहू, ब्यास कश्यप, राजेश अग्रवाल, कुंवर सिंह निषाद, धर्मजीत सिंह, रामकुमार यादव, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री जनक ध्रुव,

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया गया।

(सभापति महोदय ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पदक्रम 06 अंतर्गत कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

10. अशासकीय संकल्पों के लिए समय का निर्धारण

सभापति महोदय ने सदन को सूचित किया कि- आगामी शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2024 के अशासकीय दिवस हेतु निर्धारित तीन अशासकीय संकल्पों सम्बन्धी सूचना पत्रक भाग-दो के द्वारा जारी की जा चुकी है। ग्राह्य अशासकीय संकल्पों पर चर्चा हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित किया जाता है :-

अशासकीय संकल्प क्रमांक	सदस्य का नाम	आवंटित समय
(क्रमांक-02)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट
(क्रमांक-04)	श्री पुन्नू लाल मोहले	30 मिनट
(क्रमांक-05)	श्री पुन्नू लाल मोहले	30 मिनट

11. वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने समाज कल्याण से संबंधित **मांग संख्या-34**, महिला एवं बाल विकास से संबंधित **मांग संख्या-55,** प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-34 पर श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती शेषराज हरवंश, **मांग संख्या-55** पर श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री इन्द्रशाह मण्डावी, कुंवर सिंह निषाद श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्री संदीप साहू, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्रीमती भावना बोहरा,

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

श्रीमती अम्बिका मरकाम, श्रीमती गोमती साय, श्रीमती विद्यावती सिदार, श्रीमती रायमुनी भगत, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्रीमती शकुन्तला सिंह पोर्ते, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा,

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित **मांग संख्या-19**, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित, **मांग संख्या-79,** बीस सूत्रीय कार्यानवयन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या-50**,, प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-19 पर डॉ. चरणदास महंत, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्री दिलीप लहरिया, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री संदीप साहू, **मांग संख्या**-79 पर डॉ. चरणदास महंत, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री ब्यास कश्यप, संदीप साहू, **मांग संख्या**-50, निरंक, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ होगी ।

रात्रि 8.14 बजे विधान सभा की कार्यवाही, गुरुवार, दिनांक 22 फरवरी, 2024 (फाल्गुन-3, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा